

डिजिटल टीवी/एल.ई.डी. टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी. टीवीके माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु इम्पैनलमेंट हेतु नियम एवं शर्तें

1. छत्तीसगढ़ संवाद फर्म एवं सोसायटी अधिनियम 1973 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी है। छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा शासन के विभिन्न विभागों, निगम-मण्डलों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं की जनकल्याणकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं अन्य जानकारीयों, उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न माध्यमों से कार्य किया जाता है।
2. छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा डिजिटल टीवी/एल.ई.डी. टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी के माध्यम से राज्य शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु निविदा के माध्यम से दर निर्धारण कर फर्मों का इम्पैनलमेंट किया जाना है।
3. **फर्मों को निम्नलिखित दस्तवेजों को टेक्निकल बिड में ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है :-**
 - (i) फर्म के पैन कार्ड की प्रति। (स्वप्रमाणित)
 - (ii) Assessment Year 2022-23, 2023-2024 एवं 2024-2025 के आयकर रिटर्न की प्रति। (स्वप्रमाणित)
 - (iii) निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 2,360/- जीएसटी सहित (वापसी योग्य नहीं) एवं अमानत राशि रु. 1,00,000/- (बिना ब्याज के वापसी योग्य) छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता में ऑनलाईन/ आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा करना होगा एवं पावती/साक्ष्य की प्रति टेक्निकल बिड के साथ जमा करना होगा।
छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता का विवरण निम्नानुसार है :-

Account Name	:	Chhattisgarh Samvad
Bank Name	:	Indian Bank
Branch Name	:	Sector-27, Nawa Raipur (C.G.)
Saving Account No.	:	20246301259
IFSC Code No.	:	IDIB000N571
 - (iv) नगर निगम, नगर पालिका अथवा संबंधित स्थानीय निकाय/संस्थान से जारी किए गए रसीद की प्रति एवं स्वयं की स्वामित्व वाले डिजिटल टीवी/एल.ई.डी. टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी की सूची ऑनलाईन अपलोड करना होगा।
 - (v) निविदा में भाग लेने वाले फर्मों का कोई भी शासकीय संस्थान के साथ एकल अनुबंध होने पर अनुबंध पत्र/एकल स्वामित्व संबंधी अधिकार पत्र की प्रतियां ऑनलाईन अपलोड करना होगा।
 - (vi) फर्म के पास उपलब्ध स्वयं के स्वामित्व का डिजिटल टीवी /एल.ई.डी. टीवी /स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी का इन्वॉइस संलग्न करना होगा। ज्वाइंट वेंचर/प्रेचाइजी/कंसोरटीयम मान्य नहीं होगा।
 - (vii) वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 तीनों वर्षों का औसतन टर्नओवर कम से कम रु. 5 लाख होने का चार्टर्ड एकाउंटेन्ट द्वारा सत्यापित UDIN अंकित टर्नओवर प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा
 - (viii) डिजिटल टीवी/एल.ई.डी. टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी में विज्ञापन प्रसारण हेतु शासकीय/अर्द्धशासकीय/संबंधित संस्थान की वैध अनुमति फर्म को प्राप्त करनी होगी। अनुमति प्राप्त करने तथा इस पर होने वाले व्यय का दायित्व संबंधित डिजिटल टीवी/एल.ई.डी. टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी वाले फर्म का रहेगा। अनुमति प्रमाण पत्र की कॉपी ऑनलाईन अपलोड करना होगा।
4. डिजिटल टीवी/एल.ई.डी. टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु धन-जन-थर्ड पार्टी सुरक्षा का दायित्व संबंधित डिजिटल टीवी /एल.ई.डी. टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी एजेंसी/फर्म का होगा। अतः इस संबंध में संबंधित डिजिटल टीवी/एल

ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी फर्म को पर्याप्त सुरक्षा एवं व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा। छत्तीसगढ़ संवाद का इस संबंध में किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं होगा।

5. इम्पैनलमेंट अवधि के दौरान फर्म का संबंधित क्षेत्र के शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय भवनों/शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय परिसर एवं अन्य शासकीय संस्थाओं जैसे— रेलवे परिसर, बस स्टैण्ड परिसर, एयरपोर्ट परिसर इत्यादि के साथ निष्पादित अनुबंध की अवधि समाप्त होने की स्थिति में एजेंसी को तब तक कार्य आबंटन नहीं किया जाएगा जब तक कि विज्ञापन हेतु अनुबंधित अवधि में नवीनीकरण एवं नवीन अनुबंध निष्पादित नहीं हो जाता।
6. डिजिटल टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी का कार्यादेश के अनुरूप कार्य नहीं होने पर तदनुसार देयक में कटौती की जाएगी।
7. इम्पैनलड एजेंसी/फर्मों को कार्य के तत्कालिकता, आवश्यकता तथा बेहतर लोकेशन एवं बेहतर Visibility के आधार पर कार्य आबंटन का पूर्ण अधिकार अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
8. डिजिटल टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शन की निर्धारित अवधि में रखरखाव और सुरक्षा के साथ-साथ आवश्यकता होने पर विज्ञापन बदलने का कार्य एजेंसी का होगा। विज्ञापन प्रदर्शन बदलने एवं अन्य कार्य हेतु अतिरिक्त व्यय देय नहीं होगा।
9. समय-समय पर कार्यालयीन निर्देश पर सीधा प्रसारण किया जाना होगा।
10. छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा उपलब्ध कराये गये निगरानी ऐप में डिजिटल टीवी में प्रदर्शित हो रहे विडियो का फोटो अपलोड करना होगा। फोटो 02 बार (प्रारंभ एवं अंतिम दिवस) उपलब्ध कराना होगा एवं तदनुसार देयक स्वीकृत होगा।
11. पैनल में सूचीबद्ध फर्म द्वारा L1 दर में कार्य करने में किसी भी प्रकार की असमर्थता यथा समय सीमा, तकनीकी समस्या या अन्य कोई कारण जाहिर करता है एवं कार्य नहीं करने की स्थिति में फर्म को आगामी तीन माह तक कोई कार्य/कार्यादेश नहीं दिया जायेगा। उक्त कार्यावधि के पश्चात् दोबारा उक्त स्थिति निर्मित होने पर संबंधित फर्म को 1 वर्ष के लिए काली सूची में डाला जाएगा एवं अमानत राशि राजसात किया जाएगा।
12. निविदाकार को छत्तीसगढ़ शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा समस्त प्रचलित एवं समय समय पर जारी नियमों, निर्देशों, आदेशों और अधिनियमों का पूर्ण पालन करना होगा।
13. फर्म को कार्य प्रारंभ की तिथि से GPS लोकेशन के साथ फोटोग्राफ संलग्न करना होगा। फर्म को छत्तीसगढ़ संवाद के आउटडोर निगरानी ऐप में GPS लोकेशन के साथ फोटो अपलोड करना होगा।
14. टेक्निकल बिड में योग्य पाए गए फर्मों का फाईनेन्शियल बिड खोला जाएगा एवं प्राप्त न्यूनतम दर पर इम्पैनलमेंट हेतु टेक्निकल बिड में योग्य पाए गए सहमत फर्मों को दो वर्ष के लिए इम्पैनलड किया जाएगा। कार्य संतोषजनक होने पर एल-1 दर पर दो वर्ष समाप्ति के पश्चात् पुनः अधिकतम एक वर्ष अवधि में वृद्धि करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा समिति को दरों में निगोसियेशन का पूर्ण अधिकार होगा। निविदा समिति द्वारा निविदा दर/D.A.V.P. में उपलब्ध दर/ अन्य शासकीय संस्था में प्रचलित दर /अन्य दर अनुसार निगोसियेशन कर दर निर्धारण किया जायेगा।
15. वित्तीय प्रस्ताव में उल्लेखित अवधि के अलावा अन्य अवधि हेतु कार्य की आवश्यकता होने पर न्यूनतम अनुपातिक दर पर कार्य कराने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
16. संबंधित विभागों से छत्तीसगढ़ संवाद को देयक का भुगतान प्राप्त होने के पश्चात् ही संबंधित एजेंसी के देयकों का भुगतान छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा किया जाएगा, कार्य हेतु किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ संवाद शासन की एक

एजेंसी है एवं संबंधित विभाग के कार्यादेश अनुरूप फर्मों से कार्य कराया जाता है। इसलिए संबंधित विभाग द्वारा कार्य एवं देयक सत्यापन पश्चात् भुगतान करने पर कार्य पूर्ण माना जायेगा।

17. निविदा की किसी भी शर्तों, नियम कंडिका को शिथिल करने अथवा संपूर्ण निविदा को किसी भी समय निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को होगा।
18. निर्धारित प्रारूप में 50 रुपये का स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित यह प्रमाण-पत्र दिया जाना होगा कि संबंधित संस्था/व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र एवं अन्य अभिलेख पूर्णतः सही है, भविष्य में कोई प्रमाण-पत्र गलत पाए जाने पर उसे छत्तीसगढ़ संवाद की सूचीबद्धता से अगले एक वर्ष तक के लिए अपात्र घोषित कर दिया जायेगा। इस प्रमाण-पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना होगा कि संस्था किसी भी शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्थाओं में ब्लेक लिस्टेड नहीं हैं। शपथ-पत्र की मूल प्रति (हार्ड कापी) एवं डिजिटल टीवी/एल.ई.डी. टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी का चालू हालत में स्पष्ट दिखता हुआ वीडियो की CD/DVD/Pendrive निविदा जमा करने के नियत तिथि एवं समय के पूर्व अपरान्ह 3:00 बजे तक छत्तीसगढ़ संवाद, सेक्टर-19 नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर भवन के द्वितीय तल, कक्ष क्रमांक SF-10 में जमा किया जा सकता है।
19. निविदाकार को अमानत राशि रु. 1,00,000/- जमा करना होगा। अमानत राशि धरोहर राशि के रूप में रखी जावेगी और सेवा अवधि संतोषप्रद ढंग से समाप्ति के बाद वापस की जावेगी। उक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।
20. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार फर्म को राशि रु. 100/- के स्टाम्प पर छत्तीसगढ़ संवाद नवा रायपुर के साथ निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित कर नोटरी से सत्यापित कराना होगा।
21. 15 दिवस से ज्यादा अवधि हेतु 1 माह से कम अवधि का दर एवं 1-3 माह की दर का अनुपातिक गणना कर दोनों में से न्यूनतम दर पर मान्य किया जाएगा।
22. डिजिटल टीवी/एल.ई.डी. टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी हेतु किसी विभाग का एक दिन में अधिकतम 720 स्पॉट (120 X6) प्रसारण किया जाना है।
23. निविदाकार फर्म का स्वयं के स्वामित्व में जिस स्थान में डिजिटल टीवी/एल.ई.डी. टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी स्थापित है, उसी स्थान का दर कोट किया जाना होगा। फर्म द्वारा स्वयं के स्वामित्व के जिस जगह के लिए दर कोट किया जाएगा वह उसी जगह के लिए इम्पैनलमेंट होगा। अन्य जगहों के लिए इम्पैनलमेंट नहीं माना जायेगा।
24. फर्म के पास एक यूनिट/श्रृंखला में एक साथ न्यूनतम 03 नग डिजिटल टीवी/एल.ई.डी. टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी होना अनिवार्य हैं।
25. एक ही direction में स्थापित दो टीवी के बीच न्यूनतम 10 फीट की दूरी होना अनिवार्य है।
26. फर्म को कार्य संपादन पश्चात् देयक के साथ GPS फोटोग्राफ्स, सत्यापन प्रमाण पत्र, वीडियो, लॉग फाईल के अतिरिक्त राशि रु. 50 के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। (Annexure A)
27. इम्पैनलड फर्मों के त्रुटि, लापरवाही या अन्य किसी कारण से छत्तीसगढ़ संवाद/जनसंपर्क संचालनालय/शासन के किसी प्रकार की क्षति संबंधित फर्म को एक वर्ष के लिए ब्लेक लिस्टेड किया जा सकेगा एवं पेनाल्टी के रूप में निश्चित राशि देयक का अधिकतम 25

प्रतिशत तक कटौती का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। पेनाल्टी राशि का समायोजन फर्म द्वारा जमा अमानत राशि से किया जा सकेगा।

28. **आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) :** किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर— प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट, 1996 के अधीन संपादित होगा।
29. किसी प्रकार की विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़

डिजिटल टीवी/एल.ई.डी. टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु वित्तीय प्रस्ताव

(अ) रायपुर नगर निगम तथा नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र में स्थित AIIMS, जिला अस्पताल के ओ.पी.डी., शासकीय मेडिकल कॉलेज के ओ.पी.डी. एवं एयरपोर्ट, रेलवे, बस स्टैंड परिसर हेतु

क्र.	विवरण	प्रसारण अवधि	श्रृंखला में स्थापित टीवीसंख्या	दर (जीएसटी अतिरिक्त)			
				AIIMS, जिला अस्पताल के ओ.पी.डी., शासकीय मेडिकल कॉलेज के ओ.पी.डी.	रायपुर एयरपोर्ट परिसर	रेलवे परिसर	बस स्टैंड परिसर
1.	डिजिटल टीवी/एल.ई.डी. टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी स्पॉट प्रसारण— एक स्पॉट न्यूनतम 30 सेकण्ड का होगा जो प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित होगा एवं प्रतिदिन न्यूनतम 120 बार प्रदर्शित होना अनिवार्य है। साउंड के साथ साईज-32 -42 इंच तक	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन 30 सेकंड का एक स्पॉट 120 बार प्रदर्शन का दर	3-7 तक				
			8-15 तक				
			16-30 तक				
			31-45 तक				
			46-60 तक				
			61 -75 तक				
			76-90 तक				
			91 से अधिक				
		1-3 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पॉट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3-7 तक				
			8-15 तक				
			16-30 तक				
			31-45 तक				
			46-60 तक				
			61 -75 तक				
			76-90 तक				
			91 से अधिक				
		4-6 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पॉट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3-7 तक				
			8-15 तक				
			16-30 तक				
			31-45 तक				
			46-60 तक				
			61 -75 तक				

			76–90 तक				
			91 से अधिक				
2	डिजिटल टीवी/एल.ई.डी टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी-स्पॉट प्रसारण-एक स्पॉट न्यूनतम 30 सेकण्ड का होगा जो प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित होगा एवं प्रतिदिन न्यूनतम 120 बार प्रदर्शित होना अनिवार्य है। साउंड के साथ साईज-43-55 इंच तक	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन 30 सेकंड का एक स्पॉट 120 बार प्रदर्शन का दर	3–7 तक				
			8–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 –75 तक				
			76–90 तक				
			91 से अधिक				
		1-3 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पॉट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3–7 तक				
			8–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 –75 तक				
			76–90 तक				
			91 से अधिक				
		4-6 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पॉट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3–7 तक				
			8–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 –75 तक				
			76–90 तक				
			91 से अधिक				
3	डिजिटल टीवी/एल.ई.डी टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी-स्पॉट प्रसारण-एक स्पॉट न्यूनतम 30 सेकण्ड का होगा जो प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित होगा एवं प्रतिदिन	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन 30 सेकंड का एक स्पॉट 120 बार प्रदर्शन का दर	3–7 तक				
			8–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 –75 तक				
			76–90 तक				

	न्यूनतम 120 बार प्रदर्शित होना अनिवार्य है। साउंड के साथ साईज-56 –65 इंच तक	1-3 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पॉट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	91 से अधिक				
			3-7 तक				
			8-15 तक				
			16-30 तक				
			31-45 तक				
			46-60 तक				
			61 -75 तक				
			76-90 तक				
			91 से अधिक				
		4-6 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पॉट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3-7 तक				
			8-15 तक				
			16-30 तक				
			31-45 तक				
			46-60 तक				
			61 -75 तक				
			76-90 तक				
			91 से अधिक				
4	डिजिटल टीवी/एल.ई.डी टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी टीवी-स्पॉट प्रसारण-एक स्पॉट न्यूनतम 30 सेकण्ड का होगा जो प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित होगा एवं प्रतिदिन न्यूनतम 120 बार प्रदर्शित होना अनिवार्य है। साउंड के साथ साईज-66 इंच से अधिक	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन 30 सेकंड का एक स्पॉट 120 बार प्रदर्शन का दर	3-7 तक				
			8-15 तक				
			16-30 तक				
			31-45 तक				
			46-60 तक				
			61 -75 तक				
			76-90 तक				
			91 से अधिक				
		1-3 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पॉट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3-7 तक				
			8-15 तक				
			16-30 तक				
			31-45 तक				
			46-60 तक				
			61 -75 तक				
			76-90 तक				
			91 से अधिक				

			91 से अधिक				
		4-6 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पोर्ट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3-7 तक				
			8-15 तक				
			16-30 तक				
			31-45 तक				
			46-60 तक				
			61 -75 तक				
			76-90 तक				
			91 से अधिक				
5	डिजिटल टीवी/एल.ई.डी टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी टीवी- स्पोर्ट प्रसारण- एक स्पोर्ट न्यूनतम 30 सेकण्ड का होगा जो प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित होगा एवं प्रतिदिन न्यूनतम 120 बार प्रदर्शित होना अनिवार्य है। बिना सांउड के साईज-32 -42 इंच तक	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन 30 सेकंड का एक स्पोर्ट 120 बार प्रदर्शन का दर	3-7 तक				
			8-15 तक				
			16-30 तक				
			31-45 तक				
			46-60 तक				
			61 -75 तक				
			76-90 तक				
			91 से अधिक				
		1-3 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पोर्ट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3-7 तक				
			8-15 तक				
			16-30 तक				
			31-45 तक				
			46-60 तक				
			61 -75 तक				
			76-90 तक				
			91 से अधिक				
		4-6 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पोर्ट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3-7 तक				
			8-15 तक				
			16-30 तक				
			31-45 तक				
			46-60 तक				
			61 -75 तक				
			76-90 तक				
			91 से अधिक				
6	डिजिटल टीवी/एल.ई.डी टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी टीवी- स्पोर्ट प्रसारण- एक स्पोर्ट न्यूनतम 30 सेकण्ड का होगा जो प्रति 3	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन 30 सेकंड का एक स्पोर्ट 120 बार प्रदर्शन का दर	3-7 तक				
			8-15 तक				
			16-30 तक				
			31-45 तक				
			46-60 तक				

	से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित होगा एवं प्रतिदिन न्यूनतम 120 बार प्रदर्शित होना अनिवार्य है। बिना साउंड के साईज-43-55 इंच तक		61 –75 तक				
			76–90 तक				
			91 से अधिक				
		1–3 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पॉट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3–7 तक				
			8–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 –75 तक				
			76–90 तक				
			91 से अधिक				
		4–6 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पॉट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3–7 तक				
			8–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 –75 तक				
			76–90 तक				
			91 से अधिक				
7	डिजिटल टीवी/एल.ई.डी टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी-स्पॉट प्रसारण-एक स्पॉट न्यूनतम 30 सेकण्ड का होगा जो प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित होगा एवं प्रतिदिन न्यूनतम 120 बार प्रदर्शित होना अनिवार्य है। बिना साउंड के साईज-56-65 इंच तक	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन 30 सेकंड का एक स्पॉट 120 बार प्रदर्शन का दर	3–7 तक				
			8–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 –75 तक				
			76–90 तक				
			91 से अधिक				
		1–3 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पॉट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3–7 तक				
			8–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 –75 तक				
			76–90 तक				
			91 से अधिक				

		4-6 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पोर्ट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3-7 तक				
			8-15 तक				
			16-30 तक				
			31-45 तक				
			46-60 तक				
			61 -75 तक				
			76-90 तक				
			91 से अधिक				
8	डिजिटल टीवी/एल.ई.डी टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी- स्पोर्ट प्रसारण- एक स्पोर्ट न्यूनतम 30 सेकण्ड का होगा जो प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित होगा एवं प्रतिदिन न्यूनतम 120 बार प्रदर्शित होना अनिवार्य है। बिना साउंड के साईज-66 इंच से अधिक	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन 30 सेकंड का एक स्पोर्ट 120 बार प्रदर्शन का दर	3-7 तक				
			8-15 तक				
			16-30 तक				
			31-45 तक				
			46-60 तक				
			61 -75 तक				
			76-90 तक				
			91 से अधिक				
		1-3 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पोर्ट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3-7 तक				
			8-15 तक				
			16-30 तक				
			31-45 तक				
			46-60 तक				
			61 -75 तक				
			76-90 तक				
			91 से अधिक				
		4-6 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पोर्ट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3-7 तक				
			8-15 तक				
			16-30 तक				
			31-45 तक				
			46-60 तक				
			61 -75 तक				
			76-90 तक				
			91 से अधिक				

(ब) सभी जिला मुख्यालयों (रायपुर तथा नवा रायपुर अटल नगर निवेश क्षेत्र को छोड़कर) में स्थित जिला अस्पताल के ओ.पी.डी., शासकीय मेडिकल कॉलेज के ओ.पी.डी. एवं एयरपोर्ट, रेलवे, बस स्टैण्ड परिसर हेतु

क्र.	विवरण	प्रसारण अवधि	श्रृंखला में स्थापित टीवीसंख्या	दर (जीएसटी अतिरिक्त)			
				जिला अस्पताल के ओ.पी.डी., शासकीय मेडिकल कॉलेज के ओ.पी.डी.	एयरपोर्ट परिसर	रेलवे परिसर	बस स्टैण्ड परिसर
1.	डिजिटल टीवी/एल.ई.डी टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी टीवी स्पॉट प्रसारण— एक स्पॉट न्यूनतम 30 सेकण्ड का होगा जो प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित होगा एवं प्रतिदिन न्यूनतम 120 बार प्रदर्शित होना अनिवार्य है। साउंड के साथ साईज—32 –42 इंच तक	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन 30 सेकंड का एक स्पॉट 120 बार प्रदर्शन का दर	3—7 तक				
			8—15 तक				
			16—30 तक				
			31—45 तक				
			46—60 तक				
			61 –75 तक				
			76—90 तक				
			91 से अधिक				
		1—3 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पॉट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3—7 तक				
			8—15 तक				
			16—30 तक				
			31—45 तक				
			46—60 तक				
			61 –75 तक				
			76—90 तक				
			91 से अधिक				
		4—6 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पॉट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3—7 तक				
			8—15 तक				
			16—30 तक				
			31—45 तक				
			46—60 तक				
			61 –75 तक				
			76—90 तक				
			91 से अधिक				
2	डिजिटल टीवी/एल.ई.डी टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी टीवी—	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन 30 सेकंड का एक	3—7 तक				
			8—15 तक				
			16—30 तक				

	स्पोर्ट प्रसारण— एक स्पोर्ट न्यूनतम 30 सेकण्ड का होगा जो प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित होगा एवं प्रतिदिन न्यूनतम 120 बार प्रदर्शित होना अनिवार्य है। साउंड के साथ साईज—43—55 इंच तक	स्पोर्ट 120 बार प्रदर्शन का दर	31—45 तक				
			46—60 तक				
			61 —75 तक				
			76—90 तक				
			91 से अधिक				
		1—3 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पोर्ट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3—7 तक				
			8—15 तक				
			16—30 तक				
			31—45 तक				
			46—60 तक				
		4—6 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पोर्ट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	61 —75 तक				
			76—90 तक				
			91 से अधिक				
			3—7 तक				
			8—15 तक				
			16—30 तक				
			31—45 तक				
			46—60 तक				
			61 —75 तक				
			76—90 तक				
			91 से अधिक				
3	डिजिटल टीवी/एल.ई.डी टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी टीवी— स्पोर्ट प्रसारण— एक स्पोर्ट न्यूनतम 30 सेकण्ड का होगा जो प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित होगा एवं प्रतिदिन न्यूनतम 120 बार प्रदर्शित होना अनिवार्य है। साउंड के साथ साईज—56 —65 इंच तक	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन 30 सेकंड का एक स्पोर्ट 120 बार प्रदर्शन का दर	3—7 तक				
			8—15 तक				
			16—30 तक				
			31—45 तक				
			46—60 तक				
			61 —75 तक				
			76—90 तक				
			91 से अधिक				
		1—3 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पोर्ट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह	3—7 तक				
			8—15 तक				
			16—30 तक				
			31—45 तक				
			46—60 तक				

		का दर	61 –75 तक				
			76–90 तक				
			91 से अधिक				
		4–6 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पोर्ट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3–7 तक				
			8–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 –75 तक				
			76–90 तक				
			91 से अधिक				
4	डिजिटल टीवी/एल.ई.डी टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी टीवी- स्पोर्ट प्रसारण- एक स्पोर्ट न्यूनतम 30 सेकण्ड का होगा जो प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित होगा एवं प्रतिदिन न्यूनतम 120 बार प्रदर्शित होना अनिवार्य है। सांउड के साथ साईज-66 इंच से अधिक	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन 30 सेकंड का एक स्पोर्ट 120 बार प्रदर्शन का दर	3–7 तक				
			8–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 –75 तक				
			76–90 तक				
			91 से अधिक				
		1–3 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पोर्ट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3–7 तक				
			8–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 –75 तक				
			76–90 तक				
			91 से अधिक				
		4–6 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पोर्ट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3–7 तक				
			8–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 –75 तक				
			76–90 तक				
			91 से अधिक				

			91 से अधिक				
5	डिजिटल टीवी/एल.ई.डी टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी टीवी-स्पॉट प्रसारण-एक स्पॉट न्यूनतम 30 सेकण्ड का होगा जो प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित होगा एवं प्रतिदिन न्यूनतम 120 बार प्रदर्शित होना अनिवार्य है। बिना साउंड के साईज-32 -42 इंच तक	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन 30 सेकंड का एक स्पॉट 120 बार प्रदर्शन का दर	3-7 तक				
			8-15 तक				
			16-30 तक				
			31-45 तक				
			46-60 तक				
			61 -75 तक				
			76-90 तक				
			91 से अधिक				
		1-3 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पॉट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3-7 तक				
			8-15 तक				
			16-30 तक				
			31-45 तक				
			46-60 तक				
			61 -75 तक				
			76-90 तक				
			91 से अधिक				
		4-6 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पॉट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3-7 तक				
			8-15 तक				
			16-30 तक				
			31-45 तक				
			46-60 तक				
			61 -75 तक				
			76-90 तक				
			91 से अधिक				
6	डिजिटल टीवी/एल.ई.डी टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी टीवी-स्पॉट प्रसारण-एक स्पॉट न्यूनतम 30 सेकण्ड का होगा जो प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित होगा एवं प्रतिदिन न्यूनतम 120 बार प्रदर्शित होना अनिवार्य है। बिना साउंड के साईज-43-55 इंच	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन 30 सेकंड का एक स्पॉट 120 बार प्रदर्शन का दर	3-7 तक				
			8-15 तक				
			16-30 तक				
			31-45 तक				
			46-60 तक				
			61 -75 तक				
			76-90 तक				
			91 से अधिक				
		1-3 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पॉट 120 बार प्रतिदिन	3-7 तक				
			8-15 तक				
			16-30 तक				
			31-45 तक				

	तक	प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	46-60 तक				
			61 -75 तक				
			76-90 तक				
			91 से अधिक				
		4-6 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पोर्ट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3-7 तक				
			8-15 तक				
			16-30 तक				
			31-45 तक				
			46-60 तक				
			61 -75 तक				
			76-90 तक				
			91 से अधिक				
7	डिजिटल टीवी/एल.ई.डी टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी टीवी- स्पोर्ट प्रसारण- एक स्पोर्ट न्यूनतम 30 सेकण्ड का होगा जो प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित होगा एवं प्रतिदिन न्यूनतम 120 बार प्रदर्शित होना अनिवार्य है। बिना साउंड के साईज-56-65 इंच तक	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन 30 सेकंड का एक स्पोर्ट 120 बार प्रदर्शन का दर	3-7 तक				
			8-15 तक				
			16-30 तक				
			31-45 तक				
			46-60 तक				
			61 -75 तक				
			76-90 तक				
			91 से अधिक				
		1-3 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पोर्ट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3-7 तक				
			8-15 तक				
			16-30 तक				
			31-45 तक				
			46-60 तक				
			61 -75 तक				
			76-90 तक				
			91 से अधिक				
		4-6 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पोर्ट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3-7 तक				
			8-15 तक				
			16-30 तक				
			31-45 तक				
			46-60 तक				
			61 -75 तक				
			76-90 तक				
			91 से अधिक				

8	डिजिटल टीवी/एल.ई.डी टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी टीवी-स्पॉट प्रसारण-एक स्पॉट न्यूनतम 30 सेकण्ड का होगा जो प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित होगा एवं प्रतिदिन न्यूनतम 120 बार प्रदर्शित होना अनिवार्य है। बिना साउंड के साईज-66 इंच से अधिक	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन 30 सेकंड का एक स्पॉट 120 बार प्रदर्शन का दर	3-7 तक				
			8-15 तक				
			16-30 तक				
			31-45 तक				
			46-60 तक				
			61 -75 तक				
			76-90 तक				
			91 से अधिक				
		1-3 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पॉट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3-7 तक				
			8-15 तक				
			16-30 तक				
			31-45 तक				
			46-60 तक				
			61 -75 तक				
			76-90 तक				
			91 से अधिक				
		4-6 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पॉट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3-7 तक				
			8-15 तक				
			16-30 तक				
			31-45 तक				
			46-60 तक				
			61 -75 तक				
			76-90 तक				
			91 से अधिक				

(स) जनपद पंचायत कार्यालय एवं रेलवे, बस स्टैण्ड परिसर हेतु

क्र.	विवरण	प्रसारण अवधि	श्रृंखला में स्थापित टीवीसंख्या	दर (जीएसटी अतिरिक्त)		
				जनपद पंचायत कार्यालय	रेलवे परिसर	बस स्टैण्ड परिसर
1.	डिजिटल टीवी/एल ई. डी. टीवी/स्मार्ट एल. ई. डी. टीवी स्पोर्ट प्रसारण— एक स्पोर्ट न्यूनतम 30 सेकण्ड का होगा जो प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित होगा एवं प्रतिदिन न्यूनतम 120 बार प्रदर्शित होना अनिवार्य है। साउंड के साथ साईज-32 -42 इंच तक	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन 30 सेकंड का एक स्पोर्ट 120 बार प्रदर्शन का दर	3-7 तक			
			8-15 तक	*		
			16-30 तक	*		
			31-45 तक	*		
			46-60 तक	*		
			61 -75 तक	*		
			76-90 तक	*		
			91 से अधिक	*		
		1-3 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पोर्ट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3-7 तक			
			8-15 तक	*		
			16-30 तक	*		
			31-45 तक	*		
			46-60 तक	*		
			61 -75 तक	*		
			76-90 तक	*		
			91 से अधिक	*		
		4-6 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पोर्ट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3-7 तक			
			8-15 तक	*		
			16-30 तक	*		
			31-45 तक	*		
			46-60 तक	*		
			61 -75 तक	*		
			76-90 तक	*		
			91 से अधिक	*		
2	डिजिटल टीवी/एल ई. डी. टीवी/स्मार्ट एल. ई. डी. टीवी— स्पोर्ट प्रसारण— एक स्पोर्ट न्यूनतम 30 सेकण्ड का होगा जो प्रति 3 से 4	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन 30 सेकंड का एक स्पोर्ट 120 बार प्रदर्शन	3-7 तक			
			8-15 तक	*		
			16-30 तक	*		
			31-45 तक	*		
			46-60 तक	*		

	मिनट में रिपिट प्रदर्शित होगा एवं प्रतिदिन न्यूनतम 120 बार प्रदर्शित होना अनिवार्य है। साउंड के साथ साईज-43-55 इंच तक	का दर	61 –75 तक	*		
			76-90 तक	*		
			91 से अधिक	*		
		1-3 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पॉट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3-7 तक			
			8-15 तक	*		
			16-30 तक	*		
			31-45 तक	*		
			46-60 तक	*		
			61 –75 तक	*		
			76-90 तक	*		
			91 से अधिक	*		
		4-6 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पॉट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3-7 तक			
			8-15 तक	*		
			16-30 तक	*		
			31-45 तक	*		
			46-60 तक	*		
			61 –75 तक	*		
			76-90 तक	*		
			91 से अधिक	*		
3	डिजिटल टीवी/एल ई. डी. टीवी/स्मार्ट एल. ई. डी. टीवी-स्पॉट प्रसारण- एक स्पॉट न्यूनतम 30 सेकण्ड का होगा जो प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित होगा एवं प्रतिदिन न्यूनतम 120 बार प्रदर्शित होना अनिवार्य है। साउंड के साथ साईज-56 –65 इंच तक	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन 30 सेकंड का एक स्पॉट 120 बार प्रदर्शन का दर	3-7 तक			
			8-15 तक	*		
			16-30 तक	*		
			31-45 तक	*		
			46-60 तक	*		
			61 –75 तक	*		
			76-90 तक	*		
			91 से अधिक	*		
		1-3 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पॉट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3-7 तक			
			8-15 तक	*		
			16-30 तक	*		
			31-45 तक	*		
			46-60 तक	*		
			61 –75 तक	*		
			76-90 तक	*		
			91 से अधिक	*		

4			91 से अधिक	*		
		4-6 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पोर्ट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3-7 तक			
			8-15 तक	*		
			16-30 तक	*		
			31-45 तक	*		
			46-60 तक	*		
			61 -75 तक	*		
			76-90 तक	*		
			91 से अधिक	*		
	डिजिटल टीवी/एल ई. डी. टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी- स्पोर्ट प्रसारण- एक स्पोर्ट न्यूनतम 30 सेकण्ड का होगा जो प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित होगा एवं प्रतिदिन न्यूनतम 120 बार प्रदर्शित होना अनिवार्य है। साउंड के साथ साईज-66 इंच से अधिक	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन 30 सेकंड का एक स्पोर्ट 120 बार प्रदर्शन का दर	3-7 तक			
			8-15 तक	*		
			16-30 तक	*		
			31-45 तक	*		
			46-60 तक	*		
			61 -75 तक	*		
			76-90 तक	*		
			91 से अधिक	*		
		1-3 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पोर्ट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3-7 तक			
			8-15 तक	*		
			16-30 तक	*		
			31-45 तक	*		
			46-60 तक	*		
			61 -75 तक	*		
			76-90 तक	*		
			91 से अधिक	*		
		4-6 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पोर्ट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3-7 तक			
			8-15 तक	*		
			16-30 तक	*		
			31-45 तक	*		
			46-60 तक	*		
			61 -75 तक	*		
			76-90 तक	*		
			91 से अधिक	*		

5	डिजिटल टीवी/एल ई. डी. टीवी/स्मार्ट एल. ई. डी. टीवी— स्पोट प्रसारण— एक स्पोट न्यूनतम 30 सेकण्ड का होगा जो प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित होगा एवं प्रतिदिन न्यूनतम 120 बार प्रदर्शित होना अनिवार्य है। बिना साउंड के साईज—32 –42 इंच तक	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन 30 सेकंड का एक स्पोट 120 बार प्रदर्शन का दर	3-7 तक			
			8-15 तक	*		
			16-30 तक	*		
			31-45 तक	*		
			46-60 तक	*		
			61 –75 तक	*		
			76-90 तक	*		
			91 से अधिक	*		
		1-3 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पोट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3-7 तक			
			8-15 तक	*		
			16-30 तक	*		
			31-45 तक	*		
			46-60 तक	*		
			61 –75 तक	*		
			76-90 तक	*		
			91 से अधिक	*		
		4-6 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पोट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3-7 तक			
			8-15 तक	*		
			16-30 तक	*		
			31-45 तक	*		
			46-60 तक	*		
			61 –75 तक	*		
			76-90 तक	*		
			91 से अधिक	*		
6	डिजिटल टीवी/एल ई. डी. टीवी/स्मार्ट एल. ई. डी. टीवी— स्पोट प्रसारण— एक स्पोट न्यूनतम 30 सेकण्ड का होगा जो प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित होगा एवं प्रतिदिन न्यूनतम 120 बार प्रदर्शित होना अनिवार्य है। बिना साउंड के साईज—43-55 इंच तक	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन 30 सेकंड का एक स्पोट 120 बार प्रदर्शन का दर	3-7 तक			
			8-15 तक	*		
			16-30 तक	*		
			31-45 तक	*		
			46-60 तक	*		
			61 –75 तक	*		
			76-90 तक	*		
			91 से अधिक	*		
		1-3 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पोट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3-7 तक			
			8-15 तक	*		
			16-30 तक	*		

		स्पोर्ट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	31-45 तक	*		
			46-60 तक	*		
			61 -75 तक	*		
			76-90 तक	*		
			91 से अधिक	*		
		4-6 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पोर्ट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3-7 तक			
			8-15 तक	*		
			16-30 तक	*		
			31-45 तक	*		
			46-60 तक	*		
			61 -75 तक	*		
			76-90 तक	*		
			91 से अधिक	*		
7	डिजिटल टीवी/एल ई. डी. टीवी/स्मार्ट एल. ई. डी. टीवी- स्पोर्ट प्रसारण- एक स्पोर्ट न्यूनतम 30 सेकण्ड का होगा जो प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित होगा एवं प्रतिदिन न्यूनतम 120 बार प्रदर्शित होना अनिवार्य है। बिना साउंड के साईज-56-65 इंच तक	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन 30 सेकंड का एक स्पोर्ट 120 बार प्रदर्शन का दर	3-7 तक			
			8-15 तक	*		
			16-30 तक	*		
			31-45 तक	*		
			46-60 तक	*		
			61 -75 तक	*		
			76-90 तक	*		
			91 से अधिक	*		
		1-3 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पोर्ट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3-7 तक			
			8-15 तक	*		
			16-30 तक	*		
			31-45 तक	*		
			46-60 तक	*		
			61 -75 तक	*		
			76-90 तक	*		
			91 से अधिक	*		
		4-6 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पोर्ट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन	3-7 तक			
			8-15 तक	*		
			16-30 तक	*		
			31-45 तक	*		
			46-60 तक	*		

		होने पर प्रतिमाह का दर	61 –75 तक	*		
			76–90 तक	*		
			91 से अधिक	*		
8	डिजिटल टीवी/एल ई. डी. टीवी/स्मार्ट एल. ई. डी. टीवी- स्पोर्ट प्रसारण- एक स्पोर्ट न्यूनतम 30 सेकण्ड का होगा जो प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित होगा एवं प्रतिदिन न्यूनतम 120 बार प्रदर्शित होना अनिवार्य है। बिना साउंड के साईज-66 इंच से अधिक	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन 30 सेकंड का एक स्पोर्ट 120 बार प्रदर्शन का दर	3–7 तक			
			8–15 तक	*		
			16–30 तक	*		
			31–45 तक	*		
			46–60 तक	*		
			61 –75 तक	*		
			76–90 तक	*		
			91 से अधिक	*		
		1–3 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पोर्ट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3–7 तक			
			8–15 तक	*		
			16–30 तक	*		
			31–45 तक	*		
			46–60 तक	*		
			61 –75 तक	*		
			76–90 तक	*		
			91 से अधिक	*		
		4–6 माह हेतु 30 सेकंड का एक स्पोर्ट 120 बार प्रतिदिन प्रदर्शन होने पर प्रतिमाह का दर	3–7 तक			
			8–15 तक	*		
			16–30 तक	*		
			31–45 तक	*		
			46–60 तक	*		
			61 –75 तक	*		
			76–90 तक	*		
			91 से अधिक	*		

दिनांक :

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
हस्ताक्षर (सील मुद्रा)

पूर्ण पता:
मोबाईल नं.

Annexure -A

(रू. 50/- के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र देयक के साथ प्रस्तुत करना होगा)

प्रारूप

समक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद,
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)

मैं-----पुत्र-----निवासी-----शपथपूर्वक यह बयां करता हूँ कि—

1. शपथकर्ता का उपरोक्त नाम, पता सही है।
2. शपथकर्ता द्वारा शासकीय योजनाओं, उपलब्धियों एवं कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार हेतु डिजिटल टीवी/एल.ई.डी. टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी एजेंसी के रूप में छत्तीसगढ़ संवाद के साथ अनुबंध किया गया है।
3. यह कि शपथकर्ता----- (एजेंसी का नाम) में-----के पद पर कार्यरत है।
4. यह कि शपथकर्ता द्वारा संलग्न किए गए छत्तीसगढ़ संवाद के कार्यादेश क्रमांक..... दिनांक / / से संबंधित कार्य-निष्पादन रिपोर्ट का विवरण निम्नानुसार है—

क्रमांक	कार्यादेश क्रमांक एवं दिनांक	कार्य का विवरण	देयक संख्या एवं दिनांक	कार्य निष्पादन की अवधि कब से कब तक	कुल निष्पादित कार्य

5. कार्य की पुष्टि के लिए प्रस्तुत डिजिटल टीवी/एल.ई.डी. टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी के लॉग फाईल के रिपोर्ट की सत्यता की संपूर्ण जिम्मेदारी शपथकर्ता की है तथा दी गई जानकारी असत्य पाए जाने पर शपथकर्ता के विरुद्ध विधिक/ काली सूची में डालने की कार्यवाही छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा किए जाने पर शपथकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

शपथकर्ता

हस्ताक्षर-----

पद का नाम-----

संस्था का नाम एवं सील-----

पता-----

